उत्तर प्रदेश शासन
साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग
संख्या–186के / छः–सानिप्र–19–15(25) / 2018
लखनऊ: दिनाक 09 मार्च, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

अवगत है कि केन्द्रीय **अर्द्ध सैन्यबलों** / **अन्य प्रदेशों के** अर्द्ध सैन्यबलो अथवा भारतीय सेना मे कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान **शहीद जवानों के आश्रित** को शासनादेश संख्या–134पी / छ:–पु0–14–100(9) / 14, दिनाक–10 सितम्बर, 2014 द्वारा रूपये–20.00 लाख की अनुग्रह आर्थिक सहायता तथा शासनादेश संख्या–सी0एम0–102पी / छ–पु–6–16–100(09) / 14, दिनाक–20 दिसम्बर, 2016 द्वारा शहीद के माता–पिता को रूपये–5.00 लाख की अनुग्रह आर्थिक सहायता अनुमन्य है।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरात सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम मे केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों / अन्य **प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों** अथवा भारतीय सेना के **शहीद** जवानों के आश्रित को अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने विषयक **शासनादेश** संख्या–134पी / छ:–पु0–14–100(9) / 14, दिनाक–10.09.2014 एवं सपठित शासनादेश संख्या–सी0एम0–102पी / छ–पु–6–16–100(9) / 2014, दिनाक–20.12.2016 मे आंशिक संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश मे निवास कर रहा हो तथा जो केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों / अन्य **प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों** अथवा भारतीय सेना (तीनो अंगो–थल, जल एव वायु) मे कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन / ड्यूटी के दौरान आतकवाद, अतिवादी, **अराजकतत्वो** की गतिविधियो मे हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर **दुश्मन से झड़प, छुट–पुट** घटनाओ अथवा नक्सल / आतकवादियों / अतिवादी गतिविधियो, विस्फोटकों की हैण्डलिंग, **चिकित्सकीय कारणों / अति** दुर्लभ पहाड़ी ऊंचाईयो / दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक आपदाओ अथवा अति **खराब मौसम / दुर्घटना इत्यादि** के फलस्वरूप मृत्यु हो जाये तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी जो भारतीय **सेना अथवा केन्द्रीय / अन्य राज्यों के अर्द्ध सैनिक बलों** मे कार्यरत हो तथा जिनकी कर्तव्य पालन के दौरान इन्हीं **परिस्थितियों** मे **उत्तर प्रदेश** के अन्दर मृत्यु हो जाने पर शासनादेश संख्या 134पी / छ–पु0–14–100(9) / 14, दिनाक–10.09.2014 द्वारा शहीद के आश्रित / परिवार हेतु अनुमन्य धनराशि रूपये–20.00 लाख तथा **शासनादेश** संख्या–सी0एम0–102पी / छ:–पु–6–16–100(09) / 2014, दिनाक–20.12.2016 द्वारा शहीद के माता–पिता को **अनुमन्य धनराशि** रू–5.00 लाख निम्नानुसार वितरित की जायेगी

(1) यदि **शहीद विवाहित है तथा** उसके माता–पिता मे से एक या दानो जीवित है तो शहीद के परिवार हेतु उसकी पत्नी **को तथा** माता–पिता अथवा उसमे से जो कोई जीवित हो को माता–पिता हेतु **अनुमन्य धनराशि प्रदान कर दी जाये।**

(2) **शहीद के विवाहित होने तथा** माता–पिता **मे से किसी एक के भी जीवित** नही होने की दशा मे **माता–पिता को अनुमन्य धनराशि भी शहीद की पत्नी को वितरित** कर दी जाये।

(3) **शहीद के अविवाहित होने की स्थिति मे शहीद के परिवार हेतु** अनुमन्य धनराशि उसके माता–पिता **अथवा उसमें जो भी जीवित हो को वितरित कर दी जाये।**

3. **वर्णित स्थिति मे प्रश्नगत संदर्भित शासनादेश संख्या–134पी / छ:–पु0**–14–100(9) / 14, दिनाक–10 सितम्बर, 2014 **एवं सपठित शासनादेश संख्या–सी0एम0–102पी / छ:–पु**–6–16–100(09) / 2014, दिनाक–20 दिसम्बर, 2016 **इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा।**

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या–[illegible]–सानिप्र–2019 तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश [illegible]
2. अपर पुलिस महानिदेशक [illegible]

www.scantopdf.eu

अतिआवश्यक / अनु0धन0(अपंग / दिव्यांग)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज–1

संख्या:12ए–150 / अनु0धन0(अपंग / दिव्यांग)–2018 दिनांक:जनवरी 21 ,2019

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय: उ0प्र0पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों को कर्तव्यपालन के दौरान घटित घटना में अपंग / दिव्यांग होने पर अनुग्रह आर्थिक सहायता स्वीकृत / वितरित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, गृह साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ गृह विभाग के आदेश संख्या:03के / छः–सानिप्र0–19–15 (37) / 2018 दिनांक 05.01.2019 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो उ0प्र0पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों को कर्तव्यपालन के दौरान घटित घटना में अपंग / दिव्यांग होने पर अनुग्रह आर्थिक सहायता स्वीकृत / वितरित किये जाने के सम्बन्ध में है।

2. उक्त शासनादेश द्वारा उ0प्र0पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों को कर्तव्यपालन के दौरान नीचे उल्लिखित परिस्थितियों में घटित घटना में अपंग / दिव्यांग होने पर निम्नवत् अनुग्रह आर्थिक सहायता स्वीकृत / वितरित किये जाने का सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया है:–

क0 सं0	अनुग्रह अनुदान	दिव्यांगता प्रतिशत में	स्वीकृत की जाने वाली अनुग्रह धनराशि
1	2	3	4
1	कर्तव्य पालन के समय प्रदेश के अन्दर अथवा बाहर आतंकवादी / अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा / मुठभेड़ के फलस्वरूप पुलिस कर्मियों के अपंग / दिव्यांग होने पर एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के राहत एवं बचाव कार्य के दौरान अपंग / दिव्यांग होने पर	80% से 100%	रू0–20,00,000 / –
		70% से 79%	रू0–15,00,000 / –
		50% से 69%	रू0–10,00,000 / –

3. उपरोक्तानुसार स्वीकृत / वितरित की जानी वाली आर्थिक सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:–

(1) घटित घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हो।

(2) अपंग / दिव्यांग होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र सक्षम चिकित्साधिकारी से निर्गत हो, जिसमें स्पष्ट रूप से विकलांगता प्रतिशत अंकित किया गया हो।

(3) उ0प्र0,पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपरोक्तानुसार अपंग / दिव्यांग होने की स्थिति में यदि सेवानिवृत्त किया जाता है, तो प्रश्नगत अनुग्रह आर्थिक सहायता सेवानिवृत्तिक लाभ के अतिरिक्त होगी।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

4. उक्त निर्धारित की गई सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है, किन्तु किसी प्रकार की छूट अथवा ऊपर निर्धारित की गई सीमाओं को शिथिल करने से पूर्व शासन के गृह विभाग में उच्चादेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. पुलिस कर्मियों के अपंग/दिव्यांग होने पर उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज तथा अग्निशमन सेवा के कर्मियों के अपंग/दिव्यांग होने पर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

6. उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

7. शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज द्वारा सम्बन्धित जनपद को तत्काल बजट आवंटन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

9. अतएव श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ के सन्दर्भित शासनादेश में दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

संलग्नकः **यथोपरि।**

(शगुन गौतम)
पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–

1. श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र0शासन,लखनऊ को उनके पत्र संख्याः03के/छः–सानि प्र0–19–15(37)/2018 दिनांक 05.01.2019 के सन्दर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0,मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के अनुक्रम में कृपया सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं,उ0प्र0लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ।

www.scantopdf.eu

उत्तर प्रदेश शासन
साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग
संख्या–03के / छ–सानिप्र–19–15(37) / 2018
लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत "उत्तर प्रदेश, पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान निम्नांकित परिस्थितियों में घटित घटना में अपंग / दिव्यांग होने पर निम्नवत अनुग्रह आर्थिक सहायता स्वीकृत / वितरित किये जाने का सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया है :–

क्र0सं0	परिस्थितियाँ	दिव्यांगता प्रतिशत में	स्वीकृत की जाने वाली अनुग्रह धनराशि
1	कर्तव्यपालन के समय प्रदेश के अन्दर अथवा बाहर आतंकवादी / अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा / मुठभेड़ के फलस्वरूप पुलिस कर्मियों के अपंग / दिव्यांग होने पर एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के राहत एवं बचाव कार्य के दौरान अपंग / दिव्यांग होने पर	80% से 100% तक	₹-20,00,000.00
		70% से 79% तक	₹-15,00,000.00
		50% से 69% तक	₹-10,00,000.00

2– उपरोक्तानुसार स्वीकृत / वितरित की जाने वाली अनुग्रह आर्थिक सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी –

(1) घटित घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हो।

(2) अपंग / दिव्यांग होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से निर्गत हो, जिसमें स्पष्ट रूप से विकलांगता प्रतिशत अंकित किया गया हो।

(3) उत्तर प्रदेश, पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपरोक्तानुसार अपंग / दिव्यांग होने की स्थिति में यदि सेवानिवृत्त किया जाता है, तो प्रस्तावित अनुग्रह आर्थिक सहायता सेवानिवृत्तिक लाभ के अतिरिक्त होगी।

3– उक्त निर्धारित की गई सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है, किन्तु किसी प्रकार की छूट अथवा ऊपर निर्धारित की गई सीमाओं को शिथिल करने से पूर्व शासन के गृह विभाग में सक्षम आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4– पुलिस कर्मियों के अपंग / दिव्यांग होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज तथा अग्निशमन सेवा के कर्मियों के अपंग / दिव्यांग होने पर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

5– उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

6– शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज द्वारा सम्बन्धित जनपद को तत्काल बजट आवंटन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव, गृह

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

…ा–03के(1)/छः–सा0िए–2019 एवं तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित की इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृति के क्रम में तत्काल बजट आवंटन सुनिश्चित कराए।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज।
5. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
13. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
14. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
15. गृह (पुलिस) अनुभाग–1, 2, 6, 7, 8 तथा 10
16. गृह (पुलिस सेवाये) अनुभाग–1 व 2
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

उत्तर प्रदेश शासन
गृह पुलिस अनुभाग--06
संख्या--1046पी / छ--पु--6--17--100(9) / 2014
लखनऊ: दिनांक 20 अक्टूबर, 2017

अपर पुलिस महानिदे
उ० प्र० पुलिस मुख्य
इलाहाबाद

कार्यालय--ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियो को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक शासनादेश संख्या सी0एम0--134पी / छ-- पु0--6--14--100(9) / 2014 दिनांक 10.09.2014 एवं शासनादेश संख्या--सी0एम0--102पी / छ--पु--6--16--100(9) / 2016 दिनांक 20.12.2016 मे मृतक पुलिस कार्मिको के आश्रितो को निम्न तालिका के स्तम्भ--2 मे उल्लिखित घटनाओं के उनके सम्मुख स्तम्भ--3 मे अंकित धनराशि अनुमन्य है।

2-- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 10.09.2014 एवं शासनादेश दिनांक 20.12.2016 को संशोधित करते हुए निम्न तालिका के स्तम्भ--3 में अंकित धनराशि के स्थान पर स्तम्भ--4 मे अंकित धनराशि मृतक पुलिस कार्मिको के आश्रितो को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है:--

1	2	3		4	
क्र0 स0	घटना	पूर्व में अनुमन्य धनराशि		वर्तमान में स्वीकृत किये जाने वाली धनराशि	
		मृतक की आश्रित पत्नी को देय अनुग्रह धनराशि	मृतक के आश्रित माता--पिता को अहेतुक धनराशि	मृतक के आश्रित पत्नी को देय अनुग्रह धनराशि	मृतक के आश्रित माता--पिता को अहेतुक धनराशि
(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना मे मृत्यु हो जाती है।	20.00 लाख	5.00 लाख	20.00 लाख	5.00 लाख
(ख)	कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी / अराजकतत्वो के की गतिविधियो मे हुई हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय [illegible] [illegible] पर [illegible]	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख

	घटनाओं अथवा लड़ाकू / आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर				
(घ)	अतिदुर्लभ पहाड़ी ऊंचाईयों / दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु होने पर	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख

3— यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संशोधित दरें केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिक के आश्रितो / माता—पिता को देय अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में ही लागू होगी सेना / केन्दीय अर्द्धसैनिक बलों के सम्बन्ध में उक्त संशोधित दरें लागू नही होगी।

4— उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या—1046(1)पी / छ—पु—6—17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / आडिट प्रथम, इलाहाबाद।
3— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4— अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5— वित्त (सामान्य) अनुभाग—3
6— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2
7— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—12
8— गृह(पुलिस) अनुभाग—1 / 2 / 7 / 10
9— गृह(पुलिस सेवायें) अनुभाग—1 / 2
10— गार्ड फाइल।

13/10/2017

आज्ञा से,
(महेन्द्र सिंह)
अनुसचिव

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

प्राथमिकता / फैक्स

संख्या 356 पी / छ–पु–6–17–100(9) / 14

प्रेषक,

[illegible]

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय

इलाहाबाद।

अपर पुलिस महानिदेशक
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद

9395

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 07-7 जून 2017

विषय: केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बलों / अन्य प्रदेशों के अर्द्धसैन्य बलों अथवा भारतीय सेना के शहीद जवानों के आश्रित माता-पिता को अहेतुक धनराशि रू0 05 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या कल्याण 12ए–150(शहीद) / 2017 दिनांक 28.04.17 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बलों / अन्य प्रदेशों के अर्द्धसैन्य बलों जो [illegible] प्रदेश में शहीद हुए हैं अथवा भारतीय सेना के शहीद जवानों के आश्रित माता-पिता को भी मृत / शहीद पुलिस कर्मियों के समान परिस्थितियों में अहेतुक धनराशि रू0 05 लाख को प्रदान किये जाने अथवा नहीं के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सीएम-102पी / छ–पु–6–16–100(9) / 14 दिनांक–20.12.2016 के अनुसार मृतक / शहीद पुलिसकर्मी एवं सैन्य बलों के शहीद कार्मिकों के आश्रित माता-पिता को समान रूप से धनराशि रू0 05 लाख की अहेतुक सहायता दी जाय।

भवदीय,

([illegible])

उप सचिव।

Imp.

For n.a. plz

Ac

08/7/2017

SOW

www.scantopdf.eu

www.scantopdf.eu

संख्या–सी0एम0–102पी / छ–पु–6–16–100(09) / 2014

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र

सचिव, गृह

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2016

विषय– पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस व विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने के दौरान मृत्यु होने पर उनके माता–पिता को अनुग्रह धनराशि रू0 5.00 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या– सी0एम0–134पी / छ–पु0–6–16–100(9)2014 दिनांक 10–09–2014 द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस व विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि रू0 20.00 लाख की अहेतुक सहायता उनके आश्रितों को उपलब्ध करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहीद / मृतक के वृद्ध माता–पिता को दैनिक जीवनयापन में आ रही कठिनाई के निराकरण के उद्देश्य से पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस व विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने के दौरान मृत्यु होने पर रू0 20.00 लाख की दी जा रही अनुग्रह धनराशि के अतिरिक्त रू0 5.00 लाख की अहेतुक धनराशि शहीद / मृतक के आश्रित माता–पिता को स्वीकृत किये जाने का भी एतद्द्वारा निर्णय लिया गया है।

2– इस प्रकार के प्रकरणों में किसी परिस्थिति विशेष के दौरान अनुग्रह धनराशि हेतु निर्धारित दरों से अधिक अनुदान स्वीकृत करने का औचित्य पाये जाने की स्थिति में निर्धारित दरों से अधिक अनुदान स्वीकृत करने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे। साथ ही उपर्युक्त व्यवस्था में किसी परिवर्तन की आवश्यकता पाये जाने की दशा में यथोचित निर्णय हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी सक्षम स्तर होंगे।

3– यह आदेश दिनांक 21–11–2016 से प्रभावी होगा।

4– उक्त शासनादेश संख्या– सी0एम0–134पी / छ–पु0–6–16–100(9)2014 दिनांक 10–09–2014 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)

सचिव।

संख्याः–सी0एम0–102(1)पी / छः–पु0–6–16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2– समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3– वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
6– गृह(पुलिस) अनुभाग–1 / 2 / 7 / 10
7– गृह(पुलिस सेवायें) अनुभाग–1 / 2
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
उप सचिव।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

अतिआवश्यक / फैक्स / ईमेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्या 12 / ए–150(अनु0ध0)2015   दिनांक अक्टूबर 19, 2016

सेवा मे,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: कर्तव्य पालन के दौरान मृत पुलिस अधिकारियो / कर्मचारियो के आश्रिता को अनुग्रह धनराशि का भुगतान ई–पेमेन्ट के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध मे।

पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या 12ए(अनुग्रह धनराशि)–2015 दिनांक 28.04.2015 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान मृत पुलिस **अधिकारियो / कर्मचारियो के आश्रिता को अनुग्रह धनराशि व घायल कर्मी को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के सम्बनध मे** त्वरित सुस्पष्ट एव पूर्ण प्रस्ताव भेजने जाने के सम्बन्ध मे दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

2– प्रकरण मे अवगत कराना है कि वर्तमान मे उ0प्र0 पुलिस के कर्तव्य पालन के दौरान मृत पुलिस अधिकारियो / कर्मचारियो के आश्रितो को अनुग्रह धनराशि की डी0डी0 बनाकर सम्बन्धित जनपद को भेजी जा रही है, सम्बन्धित कर्मियो के आश्रित / आश्रिता को भुगतान करने मे अधिक समय लगता है। इस सम्बन्ध मे कर्मी के आश्रित / आश्रिता के खाते मे सीधे ई–पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतएव अनुरोध है कि भविष्य मे जो भी अनुग्रह धनराशि के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किये जाए उनमे पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या 12ए(अनुग्रह धनराशि)–2015 **दिनॉक:28.04.2015 के अतिरिक्त ई–पेमेन्ट से सम्बन्धित को भुगतान किये जाने हेतु निम्न प्रारूप में सूचनाए** उपलब्ध करायी जाए:–

1	आश्रित / आश्रिता का नाम।
2	आश्रित / आश्रिता के बैक का नाम
3	आश्रित / आश्रिता खाता संख्या
4	बैक का आई0एफ0एस0सी0 कोड।
5	आश्रित / आश्रिता के पासबुक के पृथम पृष्ठ की प्रमाणित छाया प्रति।
6	आश्रित / आश्रिता का पूरा पता एव दूरभाष / मोबाइल नम्बर।

नोट:–

(1) विवरण अग्रेजी के कैपिटल लेटर मे भरे जाये।

(2) उपरोक्त विवरण मे इनमे से &#$%^*(),, किसी भी अक्षरो का प्रयोग कही पर नही किया जाना है।

(3) पते से सम्बन्धित तीनो लाइनो को भरा जाना आवश्यक है। किसी भी लाइन को खाली नही छोड़ना है।

4– कृपया आज से उपरोक्त सूचनाओ के साथ ही अनुग्रह धनराशि के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को अग्रसारित किये जाए।

(जुगुल किशोर)
पुलिस अधीक्षक भवन / कल्याण
कृते अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

(3) घटना से वापस आये कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गयी वापसी रिपोर्ट, जिसमें घटना का तस्करा हो, की प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉं ।
(4) प्रथम सूचना रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉं ।
(5) पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉं ।
(6) शव–परीक्षण की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉं ।
(7) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक द्वारा हस्ताक्षरित मृत्यु की परिस्थितियो का विवरण जिसमे स्पष्ट रूप से घटना (Sequence of events) का उल्लेख किया गया हो एवं उनकी स्पष्ट संस्तुति ।
(8) ऐसे प्रकरणो में जिनमे गोपनीयता बनाये रखने के लिए न तो नियंत्रण कक्ष को सूचना/लोकेशन दिये गये हो और तत्परता से मौके पर पहुंचने के लिए रवानगी की औपचारिकता न निभाई गयी हो तो वापसी का तस्करा ही पर्याप्त होगा । वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक की संस्तुति मे, ये परिस्थितियॉं स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए ।

3– सक्रिय सेवा के समय मृत्यु के प्रकरणो मे पुलिस मुख्यालय को प्रेषित प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख सलग्न किये जॉय –

(1) अधिकारी/कर्मचारी के मृत्यु के समय ड्यूटी पर होने का प्रमाण–पत्र । ड्यूटी पर होने की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा जी0डी0, उपस्थिति रजिस्टर तथा ड्यूटी रजिस्टर इत्यादि के उद्धरणो की तीन–तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉं ।
(2) सक्रिय सेवा के दौरान अन्य कारणो से हुई मृत्यु के मामलो मे मृत्यु प्रमाण–पत्र, जिसमें मृत्यु के कारणो का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, की एवं पंचायतनामा की तीन–तीन पठनीय छाया प्रतियॉं ।
(3) यदि शव परीक्षण कराया गया हो तो शव परीक्षण रिपोर्ट की तीन–तीन पठनीय छाया प्रतियॉं ।
(4) यदि मृत्यु का कारण स्पष्ट नही है एवं विसरा सुरक्षित है तो विसरा सुरक्षित किये जाने संबधी रिपोर्ट की तीन–तीन पठनीय छाया प्रतियॉं ।
(5) पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉं और यदि शव–परीक्षण किया गया है तो शव–परीक्षण की तीन–तीन पठनीय प्रमाणित छाया प्रतियॉं ।
(6) मृत्यु की परिस्थितियो का संक्षिप्त विवरण ।

4– कर्तव्यपालन के दौरान घायल होने के प्रकरणो मे उक्त के अतिरिक्त निम्न अभिलेख संलग्न किये जॉय –

(1) अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के समय ड्यूटी पर होने का प्रमाण–पत्र ड्यूटी पर होने की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख तथा जी0डी0, उपस्थिति रजिस्टर तथा ड्यूटी रजिस्टर इत्यादि के उद्धरणों की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉं ।
(2) इंजरी रिपोर्ट की तीन पठनीय प्रमाणित छाया प्रतियॉं ।
(3) यदि घटना के संबध मे प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की, यदि घटना का जी0डी0 में उल्लेख किया गया है, तो जी0डी0 की और यदि इस संबध मे प्रारम्भिक जाच करके जाच रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तो जाच आख्या की तीन–तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉं ।

www.scantopdf.eu

(4) यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुयी है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियाँ ।

5- पुलिस अधीक्षक/सेनानायक स्वयं अपने हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके द्वारा पुलिस मुख्यालय भेजे जा रहे अनुग्रह धनराशि के प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण करा लिया गया है तथा सभी वांछित अभिलेख पूर्ण है ।

6- आप सहमत होंगे कि मृतक के आश्रितो को भरण-पोषण हेतु तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में यह अनुग्रह धनराशि दी जाती है अतः यह नितान्त आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रकरणों में कोई विलम्ब न हो एवं पुलिस कर्मियों का अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये मनोबल बना रहे । अतः निर्देशित किया जाता है कि पुलिस कर्मियो की उक्त परिस्थितियों मे मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि के प्रस्ताव पुलिस कर्मी की मृत्यु की तिथि से 10 दिन के अन्दर सभी आवश्यक अभिलेखो के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र/सेक्टर की संस्तुति सहित पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया जाय ताकि अनुग्रह धनराशि शीघ्र स्वीकृत करायी जा सके । प्रस्ताव पूर्ण होने चाहिये । अधूरे प्रस्ताव प्रेषित करने से अनावश्यक पत्राचार तथा विलम्ब होता है जो कदापि उचित नहीं है ।

7- परिपत्र का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ।

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- अनुभाग-4/20, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग 6

संख्या सीएम-134 पी / 14-पु0-6-14-100(9) / 14

लखनऊ, दिनांक 10 सितम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 588 पी / 13-पु-6-12-1198 / 99 दिनांक 22-6-2012 में मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित घटनाओं में उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित अनुग्रह धनराशि अनुमन्य है।

2 शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22-6-2012 को संशोधित करते हुए निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि के स्थान पर स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि मृतक के आश्रितों को दिनांक 22-8-2014 से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्र0 सं0 1	घटना 2	पूर्व में अनुमन्य धनराशि 3	वर्तमान में स्वीकृत किये जाने वाली धनराशि 4
(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	रू0 10,00,000 / -	रू0 20,00,000 / -
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी / अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रू0 10,00,000 / -	रू0 20,00,000 / -
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर हुई युद्ध घटनाओं अथवा लड़ाकू / आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रू0 15,00,000 / -	रू0 20,00,000 / -
(घ)	अति दुर्गम पहाड़ी ऊँचाईयों, दुर्गम सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	रू0 15,00,000 / -	रू0 20,00,000 / -

--2 / --

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

3— उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा जो केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यपालन के दौरान आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट–पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप प्रदेश के बाहर मृत्यु हो जाय तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासियों जो भारतीय सेना अथवा केन्द्रीय/अन्य राज्यों के अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत हों तथा जिनकी कर्तव्यपालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाय, उनके आश्रितों को भी उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित अनुग्रह धनराशि दिनांक 22–8–2014 से स्वीकृत किये जाने का भी एतद्द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है।

4— यह आदेश दिनांक 22–8–2014 से प्रभावी होगा।

5— उक्त शासनादेश दिनांक 22–6–2012 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

राजीव अग्रवाल
सचिव।

संख्या सीएम–134 (1) पी/ग्या–पु0–6–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1— समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, इलाहाबाद।
3— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4— वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
5— वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
6— वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
7— गृह (पुलिस) अनुभाग–1/2/7/10
8— गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग–1/2
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(के0एल0 वर्मा)
अनु सचिव।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या 588 पी/छ:-पु0-6-12-1198/99
लखनऊ, दिनांक 22 जून, 2012

कार्यालय -ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के [illegible] साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि [illegible] जाने विषयक शासनादेश संख्या 3990 पी/छ-पु-6-05-1198/99, दिनांक 5 दिसम्ब[illegible] में मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को रू0 10,00,000/-(रू0 दस लाख मात्र) [illegible] धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।

2- उक्त शासनादेश को संशोधित करते हुए वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा [illegible] ज्ञाप संख्या सा-3-1287/दस-2010, दिनांक 28-7-2010 में निहित व्यवस्था [illegible] दिनांक 01 जनवरी,2006 से नीचे उल्लिखित परिस्थितियों में उनके सम्मुख अंकित [illegible] पुलिस कर्मियों के आश्रितों को भी देय होगी

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	रू0 10,00,0[illegible]
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी/ अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप हुई मृत्यु होने पर	रू0 10,00,000
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट झड़पों अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा उग्रवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रू0 15,00,000
(घ)	अति दुर्लभ पहाड़ी ऊंचाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	रू0 15,00,00[illegible]

3- उक्त शासनादेश दिनांक [illegible]-12-2005 इस सीमा तक संशोधित [illegible] शर्तें यथावत रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या सा-3- 392/दस-2012, [illegible] 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(सुनील [illegible])
सचिव, गृह विभाग।

अपर पुलिस महानिदेशक
मु0 पुलिस मुख्यालय

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या:सा-3-1287/दस-2010
लखनऊ : दिनाँक : 28 जुलाई, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय सरकारी सेवकों की मृत्यु पर उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम-10 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1340/दस-88-910/88, दिनाँक 19 अगस्त, 1988 के प्रस्तर-2 में वर्ग 1,2,3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिए क्रमशः रू0 50,000/-, रू0 40,000/-, रू0 30,000/- एवं रू0 20,000/- अनुग्रह धनराशि के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है।

2- वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनाँक 01-01-2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन/ ग्रेच्युटी/ पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008, दिनाँक 08-12-2008 के प्रस्तर-9 की व्यवस्थानुसार दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से अनुग्रह धनराशि की दरें निम्नानुसार संशोधित की जा चुकी है:-

		रूपया
(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	10,00 लाख
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी / अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुयी हिंसा के फलस्वरूप हुयी मृत्यु	10,00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं / अथवा लड़ाकू / आतंकवादियों, अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	15,00 लाख
(घ)	अति दुलर्भ पहाड़ी ऊचाँईयों / दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	15,00 लाख

उक्त कार्यालय-ज्ञाप में यह व्यवस्था भी की गयी है कि संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3- तदनुसार शासनादेश दिनाँक 19-08-88 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-सा-3-1287(1)/दस-2010, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त सचिव / प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उ0प्र0 सचिवालय।
4- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त कोषागार, उ0प्र0।

आज्ञा से,

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

21(11)

संख्या:3669पी/छ:-पु-6-05-1198/99

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 6 दिसम्बर 2005

विषय: नक्सली प्रभावित जनपदों में तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने के फलस्वरूप अनुग्रह राशि की आर्थिक सहायता दिए जाने की सीमा में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या बारह/ए-अनु0म-2004, दिनांक 8 जुलाई, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवारों को शासनादेश संख्या 3590पी/छ:-पु-6-05-1198/99, दि0 5 दिसम्बर, 2005 के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि रू0 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) नक्सली आतंक में मारे गये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित परिवार को भी देय होगी ।

भवदीय

ह0/6/12/05
(कमल सक्सेना)
विशेष सचिव ।

संख्या 3669(1)पी/छ:-पु-6-05-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिटप्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
4. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
7. गृह (पुलिस) अनुभाग-1/2/7/10
8. गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

ह0/6/12/05
(कमल सक्सेना)
विशेष सचिव ।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

संख्या:3590पी/छ:-पु-6-05-1198/99 20 (११०)

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2005

विषय: पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3239पी/छ:-पु-6-90-1744/90, दिनांक 6 फरवरी, 1991, शासनादेश संख्या 3566पी/छ:-पु-6-93-1154/93, दिनांक 15 जनवरी, 1994, शासनादेश संख्या 4343पी/छ:-पु-6-99-1198/99, दिनांक [illegible] सम्बर, [illegible] शासनादेश संख्या 2624पी/छ:-पु-6-2000-1198/99, दिनांक 29.11.2000, तथा शासनादेश संख्या 3382पी/छ:-पु-6-2001-1158/99, दिनांक 9.11.2001 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवगंत पुलिस कार्मियों के परिवारों को उक्त शासनादेश दिनांक 9 नवम्बर, 2001 द्वारा अनुमन्य अनुग्रह धनराशि रू0 5,00,000/-(रूपये पाँच लाख मात्र) को बढ़ाकर रू0 10,00,000/-(रूपये दस लाख मात्र) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 से तथा उक्त तिथि के पश्चात होने वाली घटनाओं में देय होगी । उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या सा-3-1182/दस-2005, दिनांक 5.12.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

ह0/- 5/12/05
(कमल सक्सेना)
विशेष सचिव ।

संख्या:3590(1)पी/छ:पु-6-05, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

क्रमशः...2

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

संख्या3382पी/छ-पु-6-2001/1198/99 14

प्रेषक,

श्री रुद्रकुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 09 नवम्बर, 2001

विषय:- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3239 पी/छ-पु-6-90-1744/90 दिनांक 6 ... 1991 एवं शासनादेश संख्या 3566 पी/छ-पु-6-93-1154/93 दिनांक 15 जनवरी 1994 शासनादेश संख्या 4343पी/छ-पु-6-99-1198/99 दिनांक 3 दिसम्बर 1999 एवं शासनादेश संख्या 2624 पी/छ-पु-6-2000-1198/99 दिनांक 29 नवम्बर 2000 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुये दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त शासनादेश दिनांक 29-11-2000 द्वारा अनुमन्य रुपये 2,50,000/- (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र)को बढ़ाकर रू0 5,00,000/-(रू0 पाँच लाख मात्र)किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि का भुगतान इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तथा इसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगा । उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेंगी ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या सा-3-1762/दस-2001 दिनांक 8 नवम्बर 2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
हस्ताक्षर/- रुद्र कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव ।

संख्या 3382(1)पी/छ-पु-6-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
2- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद ।
4- वित्त सामान्य अनुभाग-3 (5 प्रतियां)
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
7- गृह पुलिस अनुभाग 1/2/7 व 12
8- गृह पुलिस सेवायें अनुभाग 1/2
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
रुद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव ।

Produced with ScanTo PDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

13

संख्याः2624पी/छः-पु-6-2000-1198/99

प्रेषक,

श्री रुद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-6 लखनऊःदिनांकः 29 नवम्बर 2000

विषयः पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3239पी/छ-पु-6-90-1744/90 दिनांक 6 फरवरी 1991 तथा शासनादेश संख्या-3566पी/छ-पु-6-93-1154/93 दिनांक 15 जनवरी 1994 एवं शासनादेश संख्या-4343पी/छ-पु-6-99-1198/99 दिनांक 3 दिसम्बर 1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 3 दिसम्बर 1999 द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि जो वर्तमान में वर्ग-1/2/3/4 के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए क्रमशः रू0 2,00,000/- (दो लाख) रू0 1,60,000/- (रू0 एक लाख साठ हजार मात्र) रू0 1,20,000/-(रू0 एक बीस हजार) एवं रू0 80,000/-(रू0 अस्सी हजार मात्र)अनुमन्य है, के स्थान पर मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को चार श्रेणियों में विभाजित करने के बजाय एक ही श्रेणी में मानते हुए अर्थात बिना श्रेणी भेदभाव के उन्हें प्रदान की जाने वाली अनुग्रह धनराशि रू0 2,50,000/ (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) दिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश जारी होने की तिथि तथा इसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी। उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेंगी ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-सा-3-/1133/दस-2000 दिनांक 24-11-2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
हस्ताक्षर अपठनीय,
रुद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव ।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

12

संख्या:2624(1)पी/छः-पु-6-2000-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त जिला मजिस्ट्रेट।

2-महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3-अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद ।

4-वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 (पांच प्रतियों में) ।

5-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2

6-वित्त(व्यय-नियत्रंण)अनुभाग-12

7-गृह(पुलिस)अनुभाग-1,2,7 व 12

8-गृह(पुलिस)सेवायें अनुभाग-1/2

9-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर अपठनीय
रूद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव ।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

संख्या 4254(1)/आठ-3-6-99-1138/99 (11)

प्रेषक,

श्री रूद्रकुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 3 दिसम्बर, 1999

विषय:- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्यों के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 323पी/8-पु-6-90-1744/90 दिनांक 6 फरवरी 1991 तथा शासनादेश संख्या 3566पी/8-पु-6-93-1154/93 दिनांक 15 जनवरी 1994 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों से सम्बन्धित विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों व उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: सा-3-1340/दस-88-916/88 दिनांक 19 अगस्त 1988 के द्वारा घायलों को आर्थिक सहायता 100 प्रतिशत अपंगता को असाधारण पेंशन तथा मृतकों के परिवारों को अनुग्रह धनराशि आदि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में शान्ति व्यवस्था [illegible] में विगत में पुलिस कर्मियों को विशेष जोखिम की परिस्थितियों का सामना करते हुए प्राणों की आहुति तक देनी पड़ती है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ऐसे विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुये दिवंगत होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को [illegible] सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 6 फरवरी, 1991 द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि, जो वर्तमान में वर्ग-1/2/3 एवं 4 के सरकारी कर्मियों के लिये क्रमशः रू0 1,00,000/-, 80,000/-, 60,000/- एवं 40,000/- को दो गुना किये जाने अर्थात क्रमशः रू0 2,00,000/-, 1,60,000/-, 1,20,000/- एवं रू0 80,000/- की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तथा उसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी। शेष शर्तें उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: जी-3-1127/दस-99- दिनांक 25.11.99 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/- रूद्रकुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव।

संख्या: 4254(1)(1)/आठ-पु-6-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6- गृह (पुलिस) अनुभाग 1, 5, 7 व 12
7- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu

प्रेषक,

श्री राजेश कुमार गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0 प्र0, लखनऊ।

पुलिस अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: [illegible] फरवरी, 1996

विषय:- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान विशिष्ट परिस्थितियों में मृत्यु होने तथा घायल होने वाले पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि के भुगतान का प्रतिनिधायन पुलिस महानिदेशक को हस्तांतरित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:-3239पी/छः-पु-6-90-1744/90 दिनांक 6-2-1991 में आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान विशिष्ट परिस्थितियों में मृत्यु होने पर श्रेणी -1,2,3 एवं 4 के पुलिस कर्मियों के परिवारों को क्रमशः रु0 1,00,000/= रु0 80,000/= रु0 60,000/= एवं रु0 40,000/= की अनुग्रह धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त शासनादेश में उल्लिखित श्रेणी-3 एवं 4 के पुलिस कर्मियों को देय अनुग्रह धनराशि क्रमशः रु0 60,000/=, रु0 40,000/= का भुगतान स्वीकृत करने हेतु वित्तीय अधिकार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को शासनादेश संख्या:3566 पी/छः-पु-6-93-1154/93 दिनांक 15-1-94 द्वारा प्रतिनिधानित कर दिये गये हैं। किन्तु श्रेणी -1 व 2 के पुलिस अधिकारी के मृत्यु की दशा में उक्त शासनादेश दिनांक 15-1-94 में देय अनुग्रह धनराशि को स्वीकृत करने के लिए वित्त विभाग/गृह विभाग को अधिकृत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में देय अनुग्रह धनराशि के भुगतान में होने वाले अनावश्यक विलम्ब के निवारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 15-1-94 को संशोधित करते हुए श्रेणी -1 व श्रेणी-2 के अधिकारियों को देय अनुग्रह धनराशि क्रमशः रु0 1,00,000/= (एक लाख रुपये) व रु0 80,000/= (रुपये अस्सी हजार) स्वीकृत करने के लिए वित्तीय अधिकार पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 को प्रतिनिधानित कर दिया जाय। अतः श्री राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 15-1-94 के प्रस्तर-1 को तद्नुसार उक्त सीमा तक संशोधित करते हैं।

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि बेनीफिट फंड से दी जाने वाली आर्थिक सहायता पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।

4- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

5- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-12-215/दस-1996 दिनांक 3-2-1996 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या:2101(1)/छः-पु-6-96-1154/1993 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी 1-2, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
5- वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग- 12
6- पुलिस अनुभाग-1, 4, 7व 12

आज्ञा से,

प्रति श्री [illegible] सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह(पुलिस) अनुभाग-6, लखनऊ संख्या: 3566पी/6:-पु-6-93-1154/1993 दिनांक 15-1-1994, जो पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सम्बोधित था, अन्य को पृष्ठांकित है।

विषय :- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने तथा मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

---x---

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3239पी/6:-पु-6-90-1796/90 दिनांक 6-2-1991 में जोखिम भरे कार्य के [illegible] विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने तथा मृत्यु होने पर श्रेणी -1/2/3 एवं 4 के [illegible] कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह धनराशि क्रमशः रु0 1,00,000/-, 80,000/-, 60,000/- एवं 40,000/- स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 6-2-1991 के प्रस्तर-4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय धनराशि स्वीकार करने एवं मृतक के आश्रितों को उसका भुगतान होने में अधिक समय लगता है, इसलिए इस कठिनाई के निवारण हेतु विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: सा-3-[illegible]/दस-88-916/88 दिनांक 19-8-1988 के प्रस्तर-2.12 में अंकित व्यवस्था शासनादेश दि0 6-2-91 द्वारा आच्छादित मामलों में भी लागू की जाय। उक्त व्यवस्थानुसार श्रेणी-3 तथा 4 के कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने तथा मृत्यु होने पर उनके परिवार को क्रमशः रु0 60,000/-, 40,000/- की अनुग्रह धनराशि का भुगतान [illegible] किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष सक्षम होंगे। श्रेणी 2 के अधिकारियों की इसी प्रकार से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को क्रमानुसार रु0 1,00,000/- तथा 80,000/- स्वीकृत करने हेतु सचिव, गृह विभाग सक्षम होंगे। अतः राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 6-2-91 के प्रस्तर-4 को तद्नुसार संशोधित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह स्पष्ट किया जाता है कि आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में दी जाने वाली रु0 एक लाख की अनुग्रह धनराशि/वेलफेयर फण्ड से स्वीकार की जाने वाली रु0 एक लाख की आर्थिक सहायता पूर्ववत् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी और उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्रक्रिया इन मामलों में लागू नहीं होगी।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: [illegible]-12/079/x-94 दिनांक 14-1-94 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-

3

संख्या:-3239पी/8:-पु-6-90-1744/90

प्रेषक,

पी०के०शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ० प्र० शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ० प्र०,लखनऊ ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: 6 फरवरी, 1991

विषय:-- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों से सम्बन्धित विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों व उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज(असाधारण पेंशन)नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:सा-3-1340/दस-88-916-88, दिनांक 19 अगस्त, 1988 के द्वारा घायलों को आर्थिक सहायता 100 प्रतिशत अक्षम को असाधारण पेंशन तथा मृतकों के परिवारों को अनुग्रह धनराशि आदि दिये जाने की व्यवस्था की गई है । प्रदेश में शांति व्यवस्था की गुरुतर समस्या से निपटने में पुलिस कर्मियों को विशेष जोखिम की परिस्थितियों का सामना करते समय प्राणों की आहुति तक देनी पड़ती है । अत: सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ऐसे विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार को उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि,जो वर्तमान में वर्ग-1/2/3 एवं 4 के सरकारी कर्मियों के लिये क्रमश: रु0 50,000/-, 40,000/-,30,000/- एवं 20,000/- है,को दोगुना किये जाने अर्थात क्रमश: 1,00,000/-,80,000/-,60,000/- एवं 40,000/-किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है । इस प्रकार केवल पुलिस कर्मियों के मामले में उत्तर सिविल सर्विसेज असाधारण पेंशन नियमावली के अन्तर्गत देय अनुग्रह

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

एवं अनुग्रह धनराशि को मिलाकर न्यूनतम 61,000 रु0 व अधिकतम 1,50,000 रु0 मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायेगा ।

2- उक्त बढ़ी हुई दर पर अनुग्रह धनराशि केवल उन पुलिस कर्मियों के परिवारों को अनुमन्य होगी, जो पुलिस कर्मी विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस एवं कौशल का प्रदर्शन करने के फलस्वरूप वीरगति(मृत्यु) को प्राप्त होंगे । ऐसे अवसर/परिस्थितियाँ निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़ के समय
(2) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़ के समय
(3) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष के समय
(4) हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करना अथवा तितर-बितर करते समय
(5) दैवी आपदाओं जैसे-बाढ़, भूस्खलन, हिम स्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते समय तथा अन्य आपातकाल यथा-आग-बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय ।

3- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 1988 के प्रस्तर-1(6) में उल्लिखित सक्रिय सेवा करते समय/विशेष जोखिम की परिस्थिति में मृत होने पर वित्त विभाग के उक्त वर्णित शासनादेश में निर्धारित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश में प्रदत्त सुविधा से लाभान्वित न होने वाले पुलिस कर्मियों पर पुरानी दर पर यथावत लागू रहेगी ।

4- इस दोगुनी दर पर एतद्द्वारा स्वीकृत यह अनुग्रह धनराशि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मामले में अंतिम निर्णय ले लिये जाने के उपरान्त ही स्वीकार की जायेगी । इस समिति के सदस्यों में गृह सचिव, वित्त सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 होंगे ।

5- एतद्द्वारा स्वीकृत सुविधा इस आदेश के जारी होने की तिथि को या इसके पश्चात् घटित घटनाओं के सम्बन्ध में ही देय होगी ।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-सा-3-47/दस-1991 दिनांक 2-2-91 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
ह0/-
(पी0के0शर्मा)
संयुक्त सचिव

-3

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

संख्या:3239(1)/पो/ब:-9-6-90-1744/90, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

3- वित्त सामान्य अनुभाग-3

4- वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-12

5- गृह(पुलिस)अनुभाग-1/7

आज्ञा से,
ह0/-
(पी0के0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

संख्या: 4466जी/आठ-6-00-172/00

प्रेषक,

एस0पी0 [illegible],
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

पुलिस महा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक: 27 दिसम्बर, 1900

विषय: कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: डब्ल्यू-2001-07 दिनांक: 27 नवम्बर, 1900 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभी तक गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या: 4003जी/आठ-6-1139/77 दिनांक 5-12-1977 में सरकारी ड्यूटी के समय कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने वाले केवल पुलिस कर्मी को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 2500/- रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। प्रश्नगत प्रकरण में विचारोपरान्त वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: सा-3-1340/दस/00-316/00, दिनांक 17-8-1900 के द्वारा गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के उक्त शासनादेश की व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए कर्तव्य पालन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए समस्त विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को रुपये 5000/- (पाँच हजार रुपये) की आर्थिक सहायता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- अतएव शासन द्वारा गृह विभाग के अधीन कार्यरत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो सरकारी ड्यूटी के समय कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं। को रुपये 5,000/- (पाँच हजार रुपये) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में तत्काल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु (विभागाध्यक्ष) पुलिस महा निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्राधिकृत किया जाता है।

ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
ह0/-
(एस0पी0 [illegible])
संयुक्त सचिव---2/-

संख्या: 4466(1)/आठ-6-00-172/00 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) पुलिस महा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
(3) समस्त पुलिस महा निरीक्षक/उप महा निरीक्षक
(4) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
(6) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
(7) गृह सचिव शाखा के समस्त अनुभाग

आज्ञा से,
ह0/-
(एस0पी0 [illegible])
संयुक्त सचिव।

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

4

संख्या: सा-3-1340-दस-88-916-88

प्रेषक,

श्री बी०के० सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 19 अगस्त, 1988

विषय:- विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करते हुए विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने की व्यवस्था की गई है। समय को तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों एवं विकास की गति के साथ विशेष जोखिम के कार्यों का क्षेत्र काफी बढ़ गया है और इसके साथ ही ऐसी घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप विशेष जोखिम की निम्नलिखित परिस्थितियाँ हो सकती हैं:-

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़।
(2) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष।
(3) आतंकवादियों तत्वों से मुठभेड़।
(4) हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करना अथवा तितर-बितर करते समय।
(5) दैवी आपदाओं जैसे बाढ़, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते हुए तथा अन्य आपातकाल यथा आग बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय।
(6) सक्रिय सेवा करते समय, उदाहरणतः-
(1) ट्रैफिक नियन्त्रण करते समय किसी गाड़ी की चपेट में आने की स्थिति में।
(2) मोटर गाड़ी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फिसलने के कारण चालक की मृत्यु।
(3) लेविल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाड़ी से टकराने के कारण मृत्यु।
(4) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

3

2- उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकारी सेवकों द्वारा पूरा लगन और तत्परता के साथ सरकारी कार्यों का सम्पादन किये जाने तथा विशेष जोखिम भरे कार्यों से निपटने में सरकारी सेवकों का मनोबल बनाये रखने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली में विशेष जोखिम के कार्यों के लिये उपलब्ध वर्तमान लाभों तथा तात्कालिक आर्थिक सहायता में समुचित वृद्धि किये जाने के लिये निम्नलिखित स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- कर्त्तव्य पालन के दौरान जो अधिकारी/कर्मचारी विशेष जोखिम की परिस्थितियों में गम्भीर रूप से घायल हो जाने के कारण सेवा में बनाये रखने के योग्य न रह जायें और अन्य किसी कार्य को करने में भी सक्षम न रहें तो ऐसे 100 प्रतिशत अक्षम हो गये घायल सेवकों को भी वही पेंशन दी जायेगी जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में अनुमन्य होती है। 100 प्रतिशत अक्षमता के लिये मेडिकल बोर्ड की संस्तुति/प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

2- सरकारी सेवकों की विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु पर उनके परिवार [illegible] उपर्युक्त नियमावली के नियम 10 के शेड्यूल III-एक अन्तर्गत तत्कालिक रूप [illegible] कालीन [illegible] के रूप में अनुमन्य उपादान (ग्रेच्युटी) के अतिरिक्त वर्ग 1, 2, 3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिये क्रमशः 50,000 रु0, 40,000 रु0, 30,000 रु0 एवं 20,000 रु0 अनुग्रह धनराशि के रूप में दिया जायेगा। इस प्रकार ग्रेच्युटी एवं अनुग्रह धनराशि को मिलाकर न्यूनतम रु0 41,000 व अधिकतम रु0 1,05,000 मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायेगा।

श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुग्रह धनराशि के भुगतान करने के लिए विभागाध्यक्ष [illegible] किया जाता है तथा श्रेणी 1 व 2 के अधिकारियों के सम्बन्ध में शासन के प्रशासकीय विभागों को प्राधिकृत किया जाता है।

3- कर्त्तव्य पालन के दौरान जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। अभी केवल पुलिसजन, के लिये गृह (पुलिस) अनुभाग-6, के शासनादेश संख्या: 4805पी/अ/आर0-6-1739/77, दिनांक 5 दिसम्बर, 1977 में रु0 2500 की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। अब उक्त शासनादेश की व्यवस्था का अतिक्रमण [illegible] कर्त्तव्य [illegible] के दौरान गम्भीर रूप से घायल हुए समस्त विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को रु0 5,000 (पांच हजार) की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी जिसे स्वीकृत करने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा, किन्तु जो प्रशासकीय विभाग उचित समझें बिना वित्त विभागों की सहमति के यह अधिकार अपने विभागाध्यक्षों को दे सकते हैं परन्तु इसकी सूचना उन्हें वित्त (सामान्य अनुभाग-3/अथवा, व्यय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग को भी देनी होगी।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

4- उपर्युक्त सुविधायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से देय होंगी ।

5- उक्त मद संख्या 2(2) व 2(3) में स्वीकृत सुविधाओं के लिये आवश्यक प्राविधान संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने आय-व्ययक में करायेंगे । मद संख्या 2(1) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज(असाधारण) पेंशन नियमावली के संगत प्राविधान उपरोक्तानुसार संशोधित माने जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से जारी किये जायेंगे ।

भवदीय,
वी०के० सक्सेना,
प्रमुख सचिव ।

संख्याः सा-3-1340(1)/दस-88-916-88

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3- विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय ।
4- गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/23/88-सी०एक्स०, दिनांक 3 अगस्त 1988 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,
गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव ।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

संख्या 4805पी/आठ-6-1739/77

प्रेषक,

श्री राधेश्याम माथुर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक: 5 दिसम्बर, 1977

विषय:- कर्तव्यपालन के दौरान मारे गये/घायल पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान समय में पुलिस के कठिन कर्तव्यों व दायित्वों को देखते हुए शासन यह अनुभव करता है कि जो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी कर्तव्यपालन के दौरान आक्रमण का शिकार होने के परिणामस्वरूप मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं उनके परिवार को शासन द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दी जाय ताकि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी यह अनुभव करें कि शासन उनके व उनके परिवार के हितों के प्रति जागरूक है । अत: यह निर्णय लिया गया है कि डाकुओं, अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से मुठभेड़ में या उत्तेजित और हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करने के दौरान कर्तव्यपालन में लगी घातक चोटों के फलस्वरूप जो पुलिस कर्मचारी/अधिकारी मारे जांय या जिनकी मृत्यु हो जाय, के आश्रितों को 5,000/- रुपये की आर्थिक सहायता तथा उन्हीं परिस्थितियों में जो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हो जाय उन्हें 2,500/- रु० तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । ऐसे प्रत्येक मामले में आर्थिक सहायता की स्वीकृति शासन द्वारा ही दी जायगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय मैदानी क्षेत्रों के सम्बन्ध में लेखा शीर्षक "255- पुलिस- आयोजनेतर-च-जिला पुलिस (1) जिला पुलिस मुख्य-16-अन्य व्यय" तथा पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में लेखा शीर्षक "299-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र- पर्वतीय क्षेत्र-क-निदेशन तथा प्रशासन (6) पुलिस-2-जिला पुलिस (मुख्य)-15-अन्य व्यय" से वहन किया जायगा ।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-12//दस-3164 दिनांक 17 नवम्बर, 1977 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०/- राधेश्याम माथुर,
अनु सचिव

प्रतिलिपि संख्या 4805(1)(पी/आठ-6-1739/77 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद (2) गृह (पुलिस) अनुभाग-3/4/7/8 (ई०एम) तथा 11. (3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,
ह०/- राधेश्याम माथुर,

www.scantopdf.eu
Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu